COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(347)

1रु. कोर्ट फी Re.1 COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

1रु. कोर्ट फी Re.1 COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–सीधी निगरानी–4198–III–14

1– मंगलेश्वर प्रसाद पुत्र श्री राममणि गुप्ता
2– सूर्यनारायण गुप्ता पुत्र श्री राममणि
3– राकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री राममणि गुप्ता
सभी निवासी ग्राम कोतर कला तहसील गोपद बनास जिला सीधी (म.प्र.)
–– आवेदकगण

श्री ... चतुर्वेदी अधि. द्वारा आज दि. 16.12.14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 16.12.14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1– गीता पुत्री श्री माधव गुप्ता पत्नी शंकर प्रसाद गुप्ता निवासी कोतर कला तहसील गोपद बनास जिला सीधी (म.प्र.)

2– मध्य प्रदेश शासन
–– .अनावेदकगण

<u>न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला–सीधी द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/2011–12 में निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.10.2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

... चतुर्वेदी 16/12/14

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य :</u>

1– यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा कोतर कला की आराजी क्रमांक 111/1 मिन 3 रकवा 3.776 है. में 1/10 हिस्सा जुज रकवा 0.77 है. के नक्शा तर्मीम हेतु तहसीलदार गोपस बनास को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। ओर न्यायालय द्वारा आवेदकगण को सुनवाई का विधिवत् अवसर प्रदान किये बिना ही पारित आदेश दिनांक 15.11.2011 से नक्शा तर्मीम स्वीकृति का आदेश पारित किया।

2– यहकि, आवेदकगण द्वारा तहसीलदार गोपद बनास के आदेश के विरूद्व निगरानी कलेक्टर जिला सीधी के समक्ष प्रकरण क्रमांक 4/2011–12 प्रस्तुत की गयी थी। जो पारित आदेश दिनांक 30.10.2014 से प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत् विचार किये बिना ही निरस्त कर दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय के इसी आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर सादर पेश किया जा रहा है।

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–4198–तीन/2014 जिला–सीधी

मंगलेश्वर प्रसाद आदि विरूद्ध गीता व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर सीधी, जिला–सीधी के प्रकरण क्रमांक 4/2011–12/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30–10–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 08–05–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 11-3-19 (आर0के0 जैन) सदस्य	